हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2024	पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्ष वकील की प्रार्थना-पत्र धारा 212 पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा बंटवाड़े का दावा किया गया है। वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी को बेयनामा दिनांक 27.07.2019 की पूर्व में जानकारी नहीं थी। इस बैयनामा की आड़ में अप्रार्थी स 2 व 3 प्रार्थी को जबरन उसकी आराजी से बेदखल कर कब्जा करना चाहते है। उक्त बैयनामा प्रार्थी के 1/15 हिस्से तक बेअसर है। अप्रार्थीगण को अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी को उसकी कब्जे काश्त की आराजी से उसे बेदखल कर देंगे तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का बेचान वर्ष 2019 में किया गया जबकि दावा वर्ष 2024 में लाया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी के बेचान एवं नामान्तकरण की प्रार्थी को जानकारी थी। किसी भी खातेदार काश्तकार को कानूनी रूप से अपनी घरेलु जरूरतों हेतु भूमि बेचान करने का अधिकार है। बैयनामा विधिक रूप से सही है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा भी नहीं है। उक्त आराजी पैतृक ना होकर प्रार्थी की स्व अर्जित आराजी है। प्रार्थी को रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीदशुदा भूमि पर स्टे लेने को कोई अधिकार नहीं है। नामान्तकरण नहीं होने से अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थी मौके पर काबिज नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं... अहलकार की ता...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.

मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र को भारी हर्जाने के खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभय पक्ष अभिभाषक बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध " होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद. के निस्तारण तक पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास में सुनाया गया।

22/8/24

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)